



प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 14.09.2026

#OPERATION CONVICTION

महिला अपराध पर इटावा पुलिस का कड़ा प्रहार ।

बेटियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई ।

1. थाना-बलरई

मा0 न्याया0 एडीजे टीआरसी पॉक्सो एक्ट इटावा द्वारा 01 अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 55,000 /-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव** द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना बलरई पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते **मा0 न्याय0 एडीजे टीआरसी पॉक्सो एक्ट इटावा द्वारा 01 अभियुक्त को 20 वर्ष का कारावास व 55,000 /-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

संक्षिप्त विवरण:- थाना बलरई क्षेत्र के अन्तर्गत अभि0 अभियुक्त मोहन उर्फ बृजमोहन यादव पुत्र सत्य प्रकाश नि0 बडी सियारमऊ थाना नसीरपुर जनपद फिरोजाबाद द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाना व गलत काम करने के आधार पर वादी द्वारा दी गयी लिखित सूचना के आधार पर थाना बलरई पर दिनांक 16.10.2022 को मु0अ0सं0 61/2022 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में पंजीकृत किया गया ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी नि0 श्री रजनीश कुमार के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण में सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना बलरई पुलिस टीम, पैरोकार का0 थानसिंह व मानीटरिंग सैल टीम व एडीजीसी श्री देवेन्द्र तिवारी द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 14.09.2026 को अन्तर्गत धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में मा0 न्याय0 एडीजे टीआरसी पॉक्सो एक्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष का कारावास व 55000 /-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. मोहन उर्फ बृजमोहन यादव पुत्र सत्य प्रकाश नि0 बडी सियारमऊ थाना नसीरपुर जनपद फिरोजाबाद।